रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

1920 इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट 2020

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष –42 ● अंक – 19 व 20 ● कानपुर 16 से 31 अक्टूबर 2020 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

उत्पीड़न के सम्बन्ध में शासन को लिखा पत्र

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का अवैध तरीके से किये जा रहे उत्पीड़न को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जावेगा यह विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने व्यक्त किया डा0 इदरीसी ने कहा कि अनेक जनपदों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा जिले में पंजीयन के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, इन शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने प्रदेश शासन के उप सचिव को पत्र लिखकर मुख्य चिकित्साधिकारियों की शिकायत की है, पत्र में उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक विधिवत शासकीय आदेशानुसार चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की प्रैक्टिस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है इस हेतु समय समय पर प्रदेश के समस्त C.M.O. को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया भी जा चुका है आगरा, बरेली, बस्ती, रायबरेली, हमीरपुर तथा जौनपुर के C.M.O. को लिखे गये पत्रों की प्रतियां भी शासन को भेजी गयी हैं। इस सम्बन्ध में बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने बताया कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप सं0 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी 2012 के अनुसार —

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है, इसलिए उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग – 6 के कार्यालय ज्ञाप को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को चाहिये कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य में हस्तक्षेप न करें इसके बावजूद फिर भी यदि मुख्य चिकित्साधिकारी या उनके अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी किसी प्रकार का उत्पीड़न करते हैं तो शासन व प्रशासन के उच्च अधिकारियों को लिखा जायेगा।

डा0 अतीक अहमद ने कहा कि हर हाल में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को संरक्षण दिया जायेगा बशर्ते वह विधि मान्य तरीके से अपनी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हों।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
email: registrarbehmup@gmail.com

पंत्राक –379/बी0ई0एच0एम0/2019–20 लखनऊ, दिनांक 14–09–2020

सेवा में,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
सचिवालय,लखनऊ।

विषयः– इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों/चिकित्सालयों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में अपने पत्र सं0 2241/पांच–6–2015–103 जी/15 दिनांक 18 सितम्बर,2015 (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने **महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0** से प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु नियमानुसार सुस्पष्ट संस्तुति/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था, उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रदेश के अनेक जनपदों के मुख्यचिकित्साधिकारियों द्वारा विधिवत शासकीय आदेशानुसार प्रैक्टिस कर रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है इस हेतु अनेक जनपदों के मुख्यचिकित्साधिकारियों को समय – समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अद्यतन स्थिति से अवगत भी कराया गया है आपको आगरा,बरेली,बस्ती,रायबरेली तथा हमीरपुर के मुख्यचिकित्साधिकारियों को लिखे गये पत्रों की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रेषित है।

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप सं0 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी 2012 के अनुसार —

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, **रजिस्ट्रेशन**,अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि **उ0प्र0शासन,चिकित्सा अनुभाग –6** के कार्यालय ज्ञाप को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त मुख्यचिकित्साधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य में हस्तक्षेप न करें।

सधन्यवाद,

भवदीय
(डा0हाशिम इदरीसी)
चेयरमैन

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को दी याचिकाओं के बीच ही फंसा रहेगा मान्यता का मामला

देश में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 लागू होने के कारण देश में अति आवश्यक आपातकालीन व्यवस्थायें लागू हैं जो नितान्त आवश्यक भी है चूंकि स्वास्थ्य एवं देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है हमारी सरकारों का ध्यान इस तरफ पूरी तरह से केन्द्रित है, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार लगातार इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करती रहती है जिसमें यह स्पष्ट भाव झलकता है कि **Covid-19** के दिशा निर्देशों का पालन हर स्थिति में किया जाये और किया भी जाना चाहिये, स्कूल कालेजों को खोलने व भीड़-भाड़ वाले स्थानों के लिए सर्तकता के साथ निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण जो 28 फरवरी, 2017 से सरकार के समक्ष विचाराधीन है सरकार ने अब तक जो भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है उससे सकारात्मकता का बोध होता है आपदा प्रबन्धन कानून लागू होने के पश्चात देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई नया कार्य नहीं हो पा रहा है और कैसे हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने वाले अधिकरण की महति जिम्मेदारी है और वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों व निर्देशों के अनुरूप **Covid-19** पर कार्य करने में व्यस्त है, जिसे देश ही नहीं विश्व पटल पर अपनी भूमिका का प्रदर्शन भी करना है जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों का व्यापक स्तर पर उपभोग किया जा सके, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा निरन्तर कार्य को गति प्रदान की जा रही है जिसका परिणाम है कि समय समय पर अनावश्यक पत्र व्यवहार का परिणाम भी सामने आता रहता है अन्तरविभागीय समिति द्वारा प्रकरण में जो भी परीक्षण किये गये और उनके परिणाम कार्यवाही के रूप में जो सामने आये वह इस बात का संकेत देते हैं कि संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं/संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं तथा प्रपोज़लकर्ताओं के दूसरे समूह को वांछित की पूर्ति करनी है जो इनके द्वारा अबतक दृष्टिगोचर नहीं हो रही है जो चिन्ता का विषय है इसके विपरीत संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं/संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं तथा प्रपोज़लकर्ताओं के दूसरे समूह द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को याचिकायें भेजकर याचनायें करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि महामहिम तथा प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से मान्यता जल्दी मिल जायेगी यह इनका कोरा भ्रम है मान्यता का प्रकरण अपनी निश्चित दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है जितने भी चरण मान्यता के लिए पूर्ण करने हैं उन्हें पूर्ण किये बिना मान्यता मिलना असम्भव है, सौभाग्य से मान्यता के प्रकरण में जो भी लोग लगे हैं वह स्वयं में जानकार तथा सक्षम हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है और यह जानकारी हो भी नहीं सकती है क्योंकि उनका क्षेत्र चिकित्सा एवं अनुसंधान का है इनकी भूमिका मात्र वैज्ञानिक रूप में तो हो सकती है किन्तु प्रशासनिक रूप में सन्देह है, संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं/संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं तथा प्रपोज़लकर्ताओं के दूसरे समूह को विचार करना चाहिये, प्रथम वे आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अधीन जारी दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करें तथा उसमें अपनी भूमिका को तलाशें और जहां भी स्थान मिले वहां पर अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करें यह बात इसलिए कही जा रही है कि **Covid-19** आने के साथ ही विश्व की तमाम चिकित्सा पद्धतियां गौण हो गयीं जिसमें भारत की सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां यथा: आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा एवं होम्योपैथी को किसी तरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ केवल नेचुरोपैथी एवं योगा को आंशिक रोगा का अवसर प्राप्त हुआ ऐसी स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को याचिकायें प्रस्तुत कर क्या प्राप्त करना चाहते हैं! भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद **(I.C.M.R.)** देश की चिकित्सा क्षेत्र की वर्तमान समय में सर्वोच्च संस्था है जो पूरी तरह से अधिकार सम्पन्न है यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद **(I.C.M.R.)** से सीधे सम्पर्क करना चाहिये यह हमारा सौभाग्य है कि संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं/संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं तथा प्रपोज़लकर्ताओं के दूसरे समूह प्रत्यक्ष रूप से इस संस्था के समक्ष अपना प्रदर्शन भी कर चुके हैं ऐसी स्थिति में इन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद **(I.C.M.R.)** को अपनी बात बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिये अन्यथ: की स्थिति में आपदा प्रबन्धन कानून के वापस होने के पश्चात ही इस विषय पर प्रभावी ढंग से कुछ किया जा सकता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के सम्बन्ध में लिखा गया प्रत्येक पत्र विशेषतय: महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को प्रस्तुत/प्रेषित की गयी याचिकायें प्रकरण को पुन: पुनर्जीवित कर देती हैं तथा प्रकरण का परीक्षण नये सिरे से शुरू हो जाता है जिसके कारण याचिकाकर्ता एवं आवेदनकर्ता को एक पत्र प्राप्त हो जाता है जो ऐसा प्रदर्शन करता है मानो प्रकरण अभी अभी आरम्भ हुआ है वास्तव में ऐसा ही होता है क्योंकि राष्ट्रपति जी को दी गयी याचिका देश एवं व्यवस्था में प्रथम स्थान रखती है इसलिए उसे प्राथमिकता के साथ निपटाने का प्रयास किया जाता है और 28 फरवरी, 2017 से जो भी कार्यवाही की गयी है वह पीछे हो जाती है अथवा उसकी अन्देखी कर दी जाती है इसी कारण मान्यता के प्रकरण को पूर्णत: प्राप्त नहीं हो रही है।

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इन्सटीट्यूट ने कोविड–19 के वॉरियर्स को किया सम्मानित

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखीमपुर के तत्वाधान में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए इन्सटीट्यूट, के प्राचार्य डा0 आर0 के0 शर्मा ने कहा कि **Covid-19** में सफाई कर्मचारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिन वस्तुओं से हम दूरी बनाये रहते हैं ये हमारे भाई बहन उन्हीं वस्तुओं को समेटते हुए समस्त गंदगी को साफ कर हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध करने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल के इस महामारी में सफाई कर्मी भाई बहनों ने स्वच्छता की जो मिसाल कायम की है उसके लिए इनका सम्मान होना चाहिये।

डा0 शर्मा ने कहा कि हम इनका सम्मान कर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने आपको गौरन्वित महसूस कर रहे हैं कि जो कार्य इन्होंने किया है उससे वातावरण में शुद्धता का समावेश हुआ है।

Covid 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थानों ने चालू की On Line Classes

कोविड–19 से आज पूरा देश ही नहीं अपितु सारा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में समझदारी की बहुत आवश्यकता है, कोविड–19 के प्रोटो कॉल का पालन करते हुये, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपने समस्त सम्बद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट/इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट/स्टडी सेन्टर्स के प्रमुखों को आदेशित किया कि कोविड–19 के प्रोटो कॉल का पालन करते हुये सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट/इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट/स्टडी सेन्टर्स ऑन लाईन पाठ्य सामग्री तैयार कर अपने छात्रों को ऑन लाईन क्लासेस के माध्यम से कोर्स पूरा करायें, इसके अतिरिक्त यदि किसी छात्र को समझ में न आये या कोई अन्य दिक्कत हो तो प्रत्येक रविवार को सोशल डिस्टेन्सिग का पालन सुनिश्चित कराते हुये छात्रों को अतिरिक्त क्लासेस में बुलाकर उनकी समस्या का समाधान करें।

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखीमपुर के प्राचार्य डा0 राकेश कुमार शर्मा ने गज़ट को बताया कि उनके यहां ऑन लाईन क्लासेस प्रारम्भ हो चुकी हैं और बच्चे भी पूरा सहयोग कर रहे हैं एवं तनमयता से ध्यान देते हैं।

डा0 शर्मा ने बताया कि ऑन लाईन क्लासेस में यदि बच्चे को कोई असुविधा होती है तो बच्चे को बुलाकर उसकी समस्या का निवारण करते हैं।

प्रस्तुत है माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखीमपुर के **On Line Classes** की एक झलक।

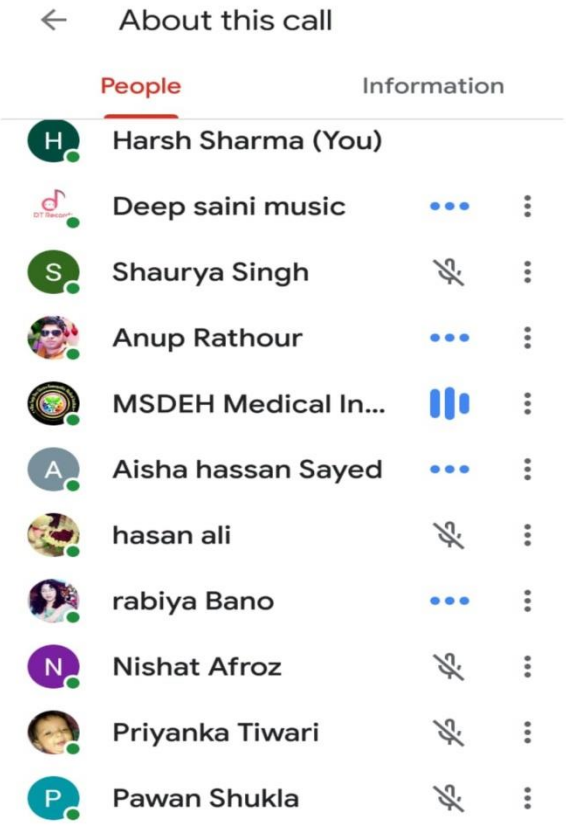

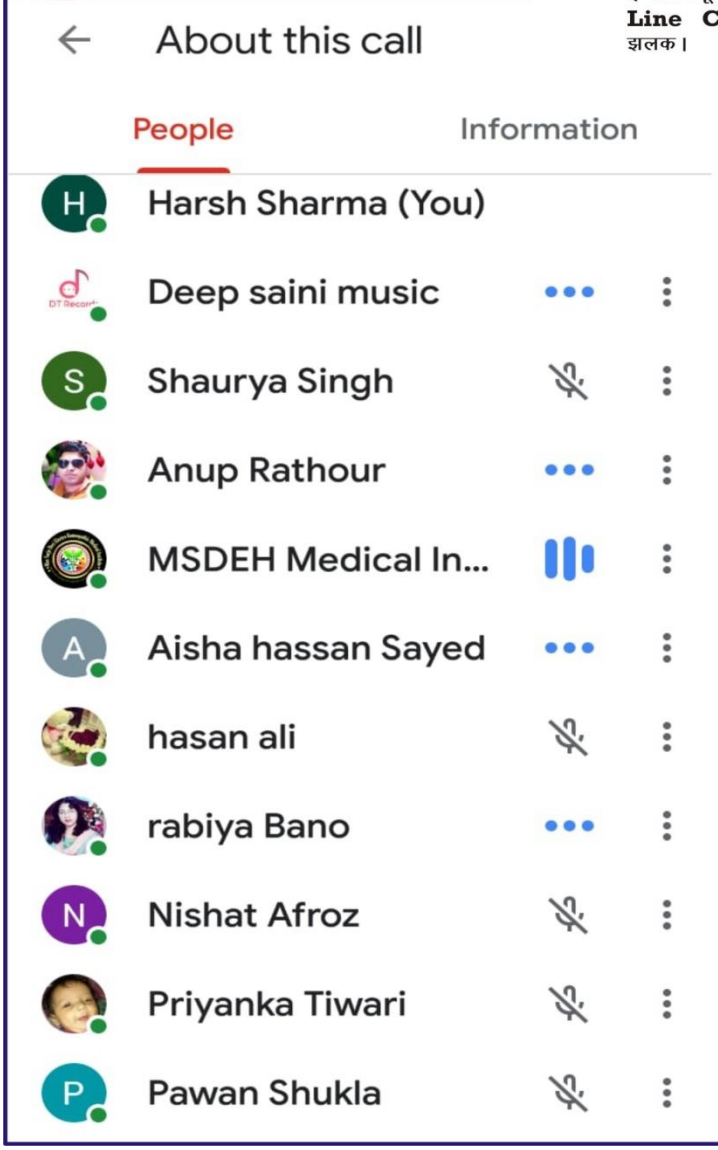

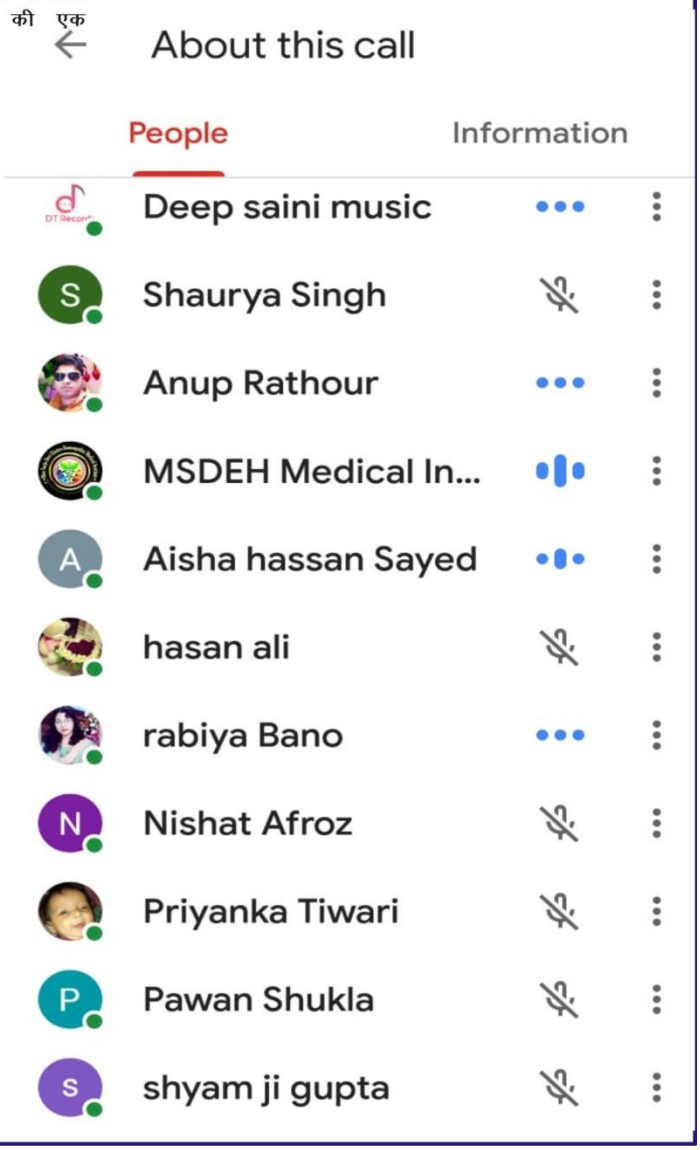

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों हेतु जिला पंजीयन की कार्ययोजना

माननीय इलहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0 वर्मा मुख्य सचिव ,उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार प्रदेश में कार्यरत या भविष्य में स्थापित होने वाले चिकित्सा प्रतिष्ठानों व चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से ज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन के कार्यालय में पंजीयन कराना था।

माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या– 11289/2013 समीर बनाम राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या–7157/2014 श्रीमती विमला देवी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12–09–2014 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग–1 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–1297/71–आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 द्वारा निजी चिकित्सकों/प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के निर्देश निम्न प्रकार दिये गये हैं:–

1– चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, यदि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथ) से सम्बन्धित है, तो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे।

2– चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, यदि वे आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित है, तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में अपनी पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे।

3– चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, यदि वे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित है, तो जिला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे।

4– चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई चिकित्सक, यदि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथ) विधा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है, तो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे।

5– चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक यदि वे आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे ।

6– चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक, यदि वे होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है, तो जिला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संस्थित रिट याचिका संख्या 10404/2004 में पारित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2004, उ0प्र0शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के पत्र संख्या 1236/5–6–2004–2009/टी0सी0 दिनांक 29 अप्रैल, 2004 , महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के पंत्र संख्या 11फ/1769 दिनांक 10–12–2007 व पत्र संख्या 11फ/2079 दिनांक 30 जुलाई, 2008 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वैधता एवं पंजीकरण के तथ्य निहित हैं।

उ0प्र0शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 के अनुसार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान व विकास हेतु कार्य करता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन का कार्य उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 में निहित है, **बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्यापैथिक मेडिसिन, उ०प्र० का का दायित्व है कि वह चिकित्सकों का जिला स्तर पर पंजीयन करे।**

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–09–2014 में यह भी निर्देशित किया गया है कि जब तक अग्रिम व्यवस्था नहीं बनती है तब तक चिकित्सकों/प्रतिष्ठानों को आचार संहिता के माध्यम से नियन्त्रित किया जाये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों हेतु आचार संहिता

- सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने साइन बोर्ड, लेटरपैड एवं रोगी परचे पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजीशियन (EH Dr.) शब्द का स्पष्ट उल्लेख करें
- हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने चिकित्सालय पर लगे साइन बोर्ड पर अपनी योग्यता स्पष्ट तौर पर अंकित कराये
- इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों का ही प्रयोग करे इसके अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति की औषधि का न तो प्रयोग करे और न ही उनका भण्डारण करे
- बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित औषधि निर्माता एवं विक्रेता से औषधियां ही खरीदे
- बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक एसोसिएशन के ही सदस्य बने
- बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित मुकदमा न तो दायर करेगा और न ही किसी मुकदमें में सम्मिलित होगा

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।